



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



12 चैत्र, 1946 (श०)

संख्या - 196 राँची, सोमवार,

1 अप्रैल, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

12 जनवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-85/2019 का.-8427 (HRMS)--श्री लक्ष्मी नारायण किशोर, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, कोटि क्रमांक-86/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3740, दिनांक 04.10.2019 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-507, दिनांक 12.09.2019 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में श्री किशोर के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(i) लोक सभा चुनाव 2019 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग एवं उपायुक्त, पलामू द्वारा निर्देशित निर्देशों के अनुरूप श्री लक्ष्मी नारायण किशोर, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद द्वारा कार्य नहीं किया गया, जिससे दिनांक 27.04.2019 एवं 28.04.2019 को हुसैनाबाद प्रखण्ड क्षेत्र में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई। साथ ही, अराजक माहौल हो गया। श्री किशोर द्वारा स्वयं इस तथ्य को उपायुक्त, पलामू को अपने पत्रांक-324, दिनांक 06.05.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया है।

(ii) दिनांक 27.04.2019 को सभी मतदान दल को अपने कलस्टर में आवासन हेतु पहुँचना था तथा उनके आवासन एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था निर्देशानुसार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद को करनी थी। परन्तु उक्त तिथि को श्री लक्ष्मी नारायण किशोर, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद द्वारा आवश्यक राशि जिला से प्राप्त होने के बाद भी न्यूनतम व्यवस्था भी नहीं की गई थी। इस संदर्भ में उनसे कारण पृच्छा भी की गई ।

(iii) श्री लक्ष्मी नारायण किशोर, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद अपने कारण पृच्छा में बताया कि उनके द्वारा सारी व्यवस्था का दायित्व प्रखण्ड नाजिर श्री पंकज कुमार को दिया गया, उन्होंने यह कार्य नहीं किया। उल्लेखनीय है कि श्री किशोर का दायित्व था कि वे अनुश्रवण एवं व्यक्तिगत रुचि लेकर सारी व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करते। उन्होंने प्रशासनिक सुझबूझ का परिचय नहीं दिया तथा निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य को हल्के से लिया। उनका यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1), 3(2) के प्रतिकूल है ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-9346, दिनांक 25.11.2019 द्वारा श्री किशोर से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री किशोर के पत्र, दिनांक 18.08.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। श्री किशोर के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5012, दिनांक 06.10.2020 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-724/स्था0, दिनांक 06.12.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य में इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है, प्रतिवेदित किया गया ।

3. श्री किशोर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-2112(HRMS), दिनांक 22.02.2022 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-134, दिनांक 16.06.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन में श्री लक्ष्मी नारायण किशोर के उपर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया है ।

4. विभागीय पत्रांक-5797, दिनांक 16.09.2022 एवं स्मार पत्रांक-1044, दिनांक 23.02.2023 द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर ग्रामीण विकास विभाग से मंतव्य की माँग की गयी है। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-1909, दिनांक 05.05.2023 द्वारा उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-179, दिनांक-19.04.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य को विभागीय मंतव्य के रूप में स्वीकार कराने का अनुरोध किया गया है ।

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-179, दिनांक-19.04.2023 में प्रतिवेदित किया गया कि श्री लक्ष्मी नारायण किशोर, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद, पलामू के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2019 में पलामू जिला अन्तर्गत लोकसभा आम निर्वाचन सम्पन्न कराया जा रहा था। निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय, पलामू से राशि उपलब्ध करा दी गई थी, राशि उपलब्ध रहने के बावजूद भी मतदान कर्मियों को मतदान की तिथि के एक दिन पूर्व समुचित

व्यवस्था जैसे-बिजली, पानी इत्यादि का उचित व्यवस्था नहीं कराया गया, जिस कारण मतदान कर्मियों द्वारा हंगामा किया गया। जिससे विधि-व्यवस्था भंग हो गई। श्री किशोर के द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही तथा उदासीनता बरती गई। इस कारण उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध किया गया था। इसमें संलिप्त प्रखण्ड नाजिर श्री पंकज कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

5. श्री किशोर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं ग्रामीण विकास से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री किशोर के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-4384, दिनांक 29.07.2023 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी।

6. श्री किशोर के पत्रांक-3590, दिनांक 11.09.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित है, जिसमें प्रतिवेदित है कि लोक सभा चुनाव 2019 के समय वे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद के साथ-साथ अंचल अधिकारी एवं हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र का सहायक निर्वाची पदाधिकारी भी थे। उन्हें EVM की तैयारी एवं द्वितीय Randomization के पश्चात् इसके वितरण सहित व्रजगृह की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गयी थी। जिला स्थित व्रजगृह एवं प्रखण्ड मुख्यालय की बीच की दूरी 90 कि॰मी॰ थी। इतनी लंबी दूरी होने के बावजूद उनके द्वारा नियमित रूप से आवागमन कर दोनों कार्यों का समन्वय के साथ निष्पादन किया जा रहा था। उपायुक्त के स्पष्ट आदेश के कारण उनका प्रखण्ड मुख्यालय में दिनांक 27.04.2019 को उपस्थित रहना संभव नहीं था। उनके द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ लगातार दूरभाष पर संपर्क एवं समन्वय स्थापित कर सारी व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी। साथ ही, जिन क्लस्टरों पर थोड़ी बहुत त्रुटि रह गयी, वहाँ व्यक्तिगत रूप से भ्रमण कर अविलंब त्रुटियों का निराकरण कराया गया, जिससे हुसैनाबाद प्रखण्ड में चुनाव कार्य त्रुटिरहित एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ। संबंधित कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप उनके द्वारा नाजिर श्री पंकज कुमार को निलंबित एवं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने की भी अनुशंसा की गयी है।

श्री किशोर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो पूर्व के समर्पित बचाव बयान में रखा गया है। इनके द्वारा कोई भी नया तथ्य/साक्ष्य द्वितीय कारण पृच्छा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा समर्पित उक्त तथ्यों पर पूर्व में ही विचार किया जा चुका है। सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रखण्ड कार्यालय में राशि उपलब्ध कराने के पश्चात् भी मतदान कर्मियों के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में लापरवाही बरती गयी है। फलस्वरूप विधि व्यवस्था का भी समस्या उत्पन्न हुई है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री लक्ष्मी नारायण किशोर, झांप्र०से० (द्वितीय बैच, कोटि क्रमांक-86/20) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री लक्ष्मी नारायण किशोर, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	LAXMI NARAYN KISHOR 20080400070	श्री लक्ष्मी नारायण किशोर, झांप्र०से० (द्वितीय बैच, कोटि क्रमांक-86/20) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
